म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड,
जी.पी.एच.प्रांगण पोलोग्राउण्ड, इन्दौर (म.प्र)
(म.प्र शासन का उपक्रम)
0731–2426354 फेक्स नं.0731–2423300 वेबसाइट www.mpwz.co.in

क्रमांक/एमडी/डब्ल्यूझेड/डीएस/01/एचआर/एलए(सी)17–18/ इन्दौर, दिनांक

लाईन परिचारक(संविदा) बेच 2017–18 के पदों हेतु विज्ञापन

1. म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इन्दौर में लाईन परिचारक (संविदा) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑन लाईन परीक्षा आयोजित कर प्रावीण्य (मैरिट) सूची पश्चात शारीरिक दक्षता के आधार पर कंपनी मे प्रभावशील संविदा सेवा शर्तो के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु म.प्र.राज्य के मूल निवासी पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

2. **लाईन परिचारक (संविदा) की संभावित रिक्तियॉ(बैक लॉग सहित) निम्नानुसार है:–**

क्र.	रिक्तियों का विवरण	संभावित पदो की संख्या				कुल पद
		UR	ST	SC	OBC	
01	बैकलॉग पद की रिक्तियॉ	**64**	**34**	**24**	**21**	**143**
02	वर्तमान रिक्तियॉ	**51**	**21**	**16**	**14**	**102**
	कुल रिक्तयां	**115**	**55**	**40**	**35**	**245**

उपरोक्त रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों हेतु समस्तर और प्रभागवार (हॉरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाईज) आरक्षण निम्नानुसार रहेगा:–

क्र.	रिक्तियों का विवरण	संभावित पदो की संख्या				कुल पद
		UR	ST	SC	OBC	
01	बैकलॉग पदों हेतु	**21**	**08**	**07**	**06**	**42**
02	वर्तमान रिक्तियों हेतु	**10**	**04**	**03**	**03**	**20**
	भूतपूर्व सैनिकों हेतु कुल आरक्षण	**31**	**12**	**10**	**09**	**62**

टीप:– पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है या स्थगित/निरस्त भी किया जा सकता है।

3. **शैक्षणिक योग्यता:–**

1) उम्मीदवार को न्यूनतम दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत), म.प्र.शासन द्वारा जारी तार मिस्त्री प्रमाण पत्र (ओव्हर हेड अधिष्ठापन कार्य में) या भारत के किसी राज्य शासन या केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. (एस.सी.व्ही.टी./एन.सी.व्ही.टी.) से विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन ट्रेड में आई.टी.आय. प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

2) महिला उम्मीदवार, जो उपर्युक्त निर्धारित योग्यता धारित करती हैं, भी आवेदन कर सकती हैं, तथापि कार्य में जोखिम होने के कारण आवेदन के पूर्व महिला उम्मीदवार इस पहलू पर पूर्ण विचार करें।

3) आवेदन हेतु उम्मीदवार को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।

4. आयु सीमाः

1) आवेदक की आयु दिनांक **01–01–2017** को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। म.प्र. राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग, भूतपूर्व सैनिक, महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।

2) म.प्र की विद्युत वितरण कंपनियों में मीटर वाचक योजना के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर कार्यरत ऐसे मीटर वाचक जो वांछित शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हो एवं उन्हें पांच वर्ष या अधिक का अनुभव है उनकी अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्याधीन होगी। आवेदक को कार्य अनुभव के सापेक्ष संबंधित कार्यपालन अभियंता का प्रमाणपत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को छूट की पात्रता नहीं होगी।

3) अभ्यर्थी को जिस श्रेणी के अंतर्गत आयुसीमा में छूट की पात्रता होगी, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर अभिलेखों के सत्यापन के समय उसके सापेक्ष मूल प्रमाणपत्र/अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. आरक्षणः–

1) मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को म.प्र. राज्य शासन के समतुल्य रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण की पात्रता होगी ।

2) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3) म.प्र.शासन के राजपत्र दिनांक 11 जनवरी 2010 से संशोधित नियम 4 (ख) के अनुसार उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यताधारी सहारिया, भारिया और बैगा जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों को भर्ती से संबंधित प्रकिया के अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जावेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को ऑन लाईन आवेदन पत्र की प्रति कंपनी के इन्दौर स्थित कार्पोरेट कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।

4) भूपपूर्व सैनिकों हेतु 62 पद आरक्षित रखे गये है। शासन के नियमानुसार भुतपुर्व सेनिको के लिये वर्ष 2017–18 हेतु स्वीकृत पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण "समस्तर और प्रभागवार (हॉरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाईज)" है। इन पदों हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद केरीफारर्वड नही होगे। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जा सकेगे। यदि चयनसूची में पहले से ही 20 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मैरीट के आधार पर उपलब्ध होगे तो प्रथक से आरक्षण और नही दिया जायेगा ।

6. आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभारः—

आवेदन शुल्क रू. 1000/—(रूपये एक हजार मात्र) जो अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क रू. 800/— (रूपये आठ सौ मात्र) निर्धारित है।

1) आवेदन पत्र एम.पी.ऑन लाईन कियोस्क पर नगद भुगतान कर प्रेषित किये जा सकते है। चयनित उम्मीदवारों को आमंत्रण पत्र निकालने हेतु भी कियोस्क में कोई शुल्क अलग से नही देना है। कियोस्क पर छायाप्रति स्कैन किये जाने हेतु पोर्टल प्रभार के अतिरिक्त पृथक से कोई प्रभार देय नही है।

2) आवेदन शुल्क एवं पोर्टल प्रभार का संक्षिप्त विवरणः—

क्र.	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु	रू. 800/—
2	अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	रू.1000/—

नोट :— आवेदक को आवेदन में सिर्फ एक बार सुधार किये जाने की सुविधा प्रदान की जावेगी जिसका पोर्टल चार्ज रूपये 60/—रहेगा।

7. चयन प्रकिया

1) लाईन परिचारक (संविदा) पद हेतु ऑन लाईन परीक्षा हिन्दी में आयोजित की जायेगी। परीक्षा हेतु सिलेबस आई.टी.आई.(विद्युतकार/वायरमेन) कोर्स हेतु निर्धारित सिलेबस अनुसार होगा। तदोपरांत चयनित उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा अनिवार्य रूप से उतीर्ण करना होगा।

2) ऑनलाईन परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective Type) प्रकार की होगी जिसमें 100 प्रश्न रहेगे। परीक्षा की अवधि 02 घण्टे रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 04 अंक का होगा। प्रत्येग गलत उत्तर के लिये 01 अंक काटा जावेगा।

3) एम.पी.ऑनलाईन द्वारा इन्दौर एवं भोपाल स्थित विभिन्न केन्द्रों पर ऑन लाईन परीक्षा आयोजित की जावेगी।

4) उम्मीदवारों को ऑन लाईन परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एम.पी. ऑन लाईन द्वारा जारी नियम एवं शर्तो सहित प्रवेश पत्र www.mponline.gov.in से डाउन लोड किये जा सकते है।

5) कंपनी द्वारा अधिकृत नोडल ऐजेन्सी द्वारा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर उम्मीदवारोंकी उपस्थिति की Video CC TV Recording की जायेगी।

6) ऑन लाईन परीक्षा की आदर्श उत्तर पुस्तिका परीक्षा दिनांक से 03 से 05 दिवस के अंदर एम.पी. ऑन लाईन की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी। जिसे प्रकाशन तिथि से 03 दिवस के अन्दर चुनौती दी जा सकेगी।

7) उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा मे पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के संबंध में यदि चुनौती दी जाती है । तो उम्मीदवारों को रूपये 600/— प्रति प्रश्न के हिसाब से राशि जमा करने पर उसकी चुनौती स्वीकार की जावेगी तथा चुनौती वैध साबित होने पर जमा की गई राशि वापसी योग्य होगी।

8) ऑन लाईन परीक्षा मे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये कट ऑफ मार्क 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये 30 प्रतिशत न्यूनतम अंक निर्धारित है।

9) म.प्र. राज्य विध्युत मण्डल की उत्तरावर्ती कंपनियों में मीटर वाचक योजना के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर कार्यरत ऐसे मीटर वाचक उम्मीदवार जिन्होने 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये अनुबंध के आधार पर मीटर रीडिंग का कार्य किया है एवं जो वांछित शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हो उन्हें 10 प्रतिशत बोनस अंक दिये जावेगे। ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को उक्त बोनस अंक की की पात्रता नही होगी। इस हेतु आवेदक को संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10) चयन हेतु प्राविण्य (मैरीट) सूची में कंडिका (9) में उल्लेखित अनुसार अनुभव के अंकों को जोड़कर संयुक्त प्राविण्य (मैरीट) सूची संधारित कर चयन प्रक्रिया की जावेगी।

11) **अस्थायी प्राविण्य सूचीः–**

एम.पी.ऑन लाईन द्वारा आयोजित ऑन लाईन परीक्षा एवं अनुभव के बोनस अंकों के आधार पर अस्थायी प्राविण्य (मैरीट) सूची निम्नानुसार तैयार की जावेगी।

(अ) अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि के समस्त उम्मीदवारों की एक संयुक्त प्राविण्य सूची तैयार की जावेगी।

(ब) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये पृथक–पृथक प्राविण्य (मैरीट) सूची तैयार की जावेगी।

(स) उम्मीदवारों को अस्थायी प्राविण्य (मैरीट) सूची के अनुसार चयन होने पर शरीरिक दक्षता परीक्षा उतीर्ण करना अनिवार्य होगा ।

8. **<u>महत्वपूर्ण दिनांक</u>** –चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिनांक निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	दिनांक
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की दिनांक	05.07.2017
2	ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक	25.07.2017 मध्य रात्रि
3	एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाईट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की दिनांक	02.08.2017 से प्रारंभ
4	ऑनलाईन परीक्षा की दिनांक	26.08.2017 (संभावित)
5	प्रश्न पत्र से संबंधित आपत्तियॉ दर्ज करने की दिनांक	28.08.2017 से 30.08.2017 तक
6	ऑनलाईन परीक्षा के परिणाम का प्रकाशन	11.09.2017 (संभावित)

अपरिहार्य कारणों से उक्त दिनांकों में फेरबदल संभव है।

9. **दस्तावेज सत्यापन एवं** शारीरिक **दक्षता परीक्षा हेतु चयनः**– अस्थायी प्राविण्य सूची में से विज्ञापित पदों से डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा एवं उनकी सूची कंपनी की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। चयनित उम्मीदवार अपना आमंत्रण पत्र एम.पी.ऑनलाईन के कियोस्क या कंपनी की वेबसाईट में उपलब्ध लिंक से डाउनलोड कर सकते है।

अस्थायी प्रावीण्य सूची में से दस्तावेज सत्यापन पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा उतीर्ण करने वाले उम्मीदवारों में से रिक्तियों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति कंपनी द्वारा उपरोक्त रिक्त लाईन परिचारक (संविदा) पदों पर की जावेगी।

10. **शारीरिक दक्षता परीक्षाः**—शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्न परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगाः

(अ) निम्नदाब लाईन के खम्बे पर सीढ़ी की सहायता से टूल—किट लेकर 2 मिनिट में चढ़ना एवं उतरना ।

(ब) 15 कि.ग्रा. वजन लेकर 10 मिनिट में 1 कि.मी. पैदल चलना।

(स) उपरोक्त दोनों उपखण्ड (अ) एवं (ब) में उल्लेखित शारीरिक दक्षता उतीर्ण करना आवश्यक है।

(द) एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उतीर्ण न करने पर पुनः शारीरिक दक्षता परीक्षा नही ली जावेगी।

11. **शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजः**—
(अभ्यर्थी को वांछित प्रमाण—पत्र/अंक सूची की मूल प्रति एक छायाप्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।)

1) दसवी परीक्षा उतीर्ण की अंक सूची एवं प्रमाण पत्र। एवं

(अ) व्यावसायिक योग्यता (आई.टी.आई विद्युतकार/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड) की अंकसूची एवं प्रमाण पत्र।

अथवा

(ब) ओवर हेड (तार मिस्त्री) परीक्षा उतीर्ण प्रमाण पत्र।

2) म.प्र.राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र।

3) स्थायी जाति प्रमाण पत्र (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया म.प्र.राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु।)

4) फोटों युक्त मूल पहचान परिचय पत्र (ड्रायविंग लायसेंस/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/बैक पासबुक/पासपोर्ट इनमें से कोई एक) यदि पहचान पत्र उपलब्ध न हो तो शाला/आयटीआय के प्राचार्य से सत्यापित आवेदक का छायाचित्र।

5) स्वयं प्रमाणीकरण का चरित्र सत्यापन के संबंध में प्रमाण पत्र।

6) दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के कलर फोटों।

7) स्थायी निवास के पते का प्रमाण ।

8) शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी प्रायवेट लिमिटेड उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थी अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

9) भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।

10) मीटर वाचक योजना के तहत पूर्ववर्ती म.प्र.राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में मीटर रीडिंग का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो) ।

12. **प्राविण्य (मैरीट) सूची का उपयोगः–** संविदा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु बिंन्दु क्रमांक 7.11 में वर्णित प्राविण्य (मैरीट) सूची एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा उतीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को कंपनी के रिक्त लाईन परीचारक (संविदा) पदों पर नियुक्ति निम्नानुसार की जावेगीः–

(अ) अनारक्षित रिक्त पदों की पूर्ति समस्त श्रेणियों की बिंन्दु क्रमांक 7.11 (अ) के अनुसार संधारित की गयी प्राविण्य (मैरीट) सूची से की जावेगी।

(ब) अनारक्षित पदों की पूर्ति के उपरांत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये बिंदु क्रमांक 7.11 (ब) के अनुसार पृथक–पृथक संधारित की गयी प्राविण्य (मैरीट) सूची से उस वर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी।

13. **प्राविण्य (मैरीट) सूची की वैधताः–** प्राविण्य (मैरीट) सूची घोषित होने की दिनांक से 1 वर्ष तक वैध रहेगी, जिससे विज्ञापित पदों की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की जा सकेगी।

14. **चिकित्सीय परीक्षणः** संविदा पर अनुबंधित कार्मिक को अनुबंध के समय जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन का फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।संविदा आधार पर अनुबंध चिकित्सीय परीक्षण में सफल होने पर ही मान्य होगा। यदि उम्मीदवार चिकित्सीय परीक्षण में असफल पाया जाता है तो उम्मीदवार का चयन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त होगा।

15. **प्रशिक्षणः** शारीरिक दक्षता परीक्षण के उपरांत अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को सविंदा पर लाईन परिचारक के कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा। चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित अवधि के संस्थागत प्रशिक्षण हेतु बुलाया जावेगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण क्षमता के आधार पर चरणों में नियुक्ति आदेश जारी किये जावेंगे। चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, यदि उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त समझा जावेगा।

16. **सेवा–सह–जमानत अनुबंधः–** लाईन परिचारक (संविदा) को निर्धारित प्रारूप में रूपये 500/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर कंपनी में लागू संविदा नियुक्ति की शर्तो के अनुसार संविदा सह जमानत अनुबंध निर्धारित प्रारूप में 03 वर्ष के लिये करना होगा।

17. **कार्य की प्रकृतिः–** लाईन परिचारक (संविदा) की नियुक्ति पर उम्मीदवार को विद्धुत वितरण से संबंधित कार्य, विद्धुत लाईन के निर्माण कार्य जिसमें गड्डा खोदने, सामान की ढुलाई एवं लाईन तैयार करनें एवं उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित सभी श्रम साध्य कार्य करने होंगें।

18. **पारिश्रमिकः–** लाईन परिचारक (संविदा) पद के चयनित उम्मीदवारों को संविदा नियुक्ति पर प्रथम वर्ष में कंपनी में लागू **"संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) नियम 2016" के नियमानुसार** सकल पारिश्रमिक **रू.14000/– प्रतिमाह** की दर से देय होगा। वार्षिक पारिश्रमिक वृध्दि **"संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) नियम 2016" की कंडिका 4 की उप कंडिका 4.2 के अनुसार की जायेगी।**

19. नियुक्ति हेतु संविदा अनुबंध की कालावधि :–

(अ) **कंपनी में लागू** "संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) नियम 2016" के अनुसार संविदा सेवा में कार्य करने की अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। उक्त अधिकतम आयु पर संविदा अनुबंध स्वतः ही शून्य हो जाएगा।

(ब) संविदा अनुबंध की अधिकतम कालावधि 03 वर्ष होगी। अनुबंध की कालावधि समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः शून्य होगा।

(स) कंपनी को यह अधिकार होगा कि, आवश्यकता होने पर एवं संविदा कार्मिक द्वारा पिछले संपादित कार्यों एवं आचरण के मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुए, 03 वर्ष या उससे कम ऐसी अवधि के लिये जैसी कि कंपनी उचित समझे, नया अनुबंध कर सकेगी। एक अनुबंध से दूसरे अनुबंध के मध्य न्यूनतम 15 कार्य दिवस का अंतराल रखा जायेगा।

(द) अनुबंध की दिनांक से वर्ष की गणना की जायेगी तथा वर्ष के अंत में अथवा संविदा कालावधि समाप्ति पर, नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संविदा कार्मिक के आचरण तथा कार्यों का मूल्याँकन पारदर्शी प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए किया जाएगा।

20. सामान्य शर्तेः–

1) ऐसे अभ्यर्थी जो किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरयत है, सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु संबंधी मापदण्ड पूर्ण करते है। शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय ऐसे अभ्यर्थी को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नही होगी।

2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ऑनलाईन परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाये जाने पर नियमानुसार न्यूनतम दूरी का द्वितीय साधारण श्रेणी का रेल अथवा वास्तविक बस किराया आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पत्राचार के पते के आधार पर मूल टिकिट प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा। इस हेतु आवेदक को जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

3) चयन/नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर में ही मान्य होगे। कंपनी की सेवाऐं म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत नही आती है।

4) ऐसे उम्मीदवार जिनके तृतीय या उसके बाद के बच्चे का जन्म दिनांक 26.01.2001 अथवा उसके बाद हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नही होगे।

5) चयन के समय अथवा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने दस्तावेज अंकसूची इत्यादि कूटरचित/फर्जी/बनावटी प्रस्तुत किये है अथवा उसका चयन गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो उसको तत्काल सेवा/अनुबंध से न केवल पृथक किया जाएगा वरन् उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

21. अनुशासन एवं नियंत्रण के संबंध में सामान्य शर्तेः प्रशिक्षण अवधि के दौरान एवं लाईन परिचारक (संविदा) पर अनुबंधित होने पर उम्मीदवार को कंपनी में लागू "संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) नियम 2016" की कंडिका 7 में उल्लेखित नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

22. अनुबंध अवधि में आचरण:–

(अ) लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर अनुबंधित व्यक्ति को प्रशिक्षण काल एवं कार्य के दौरान कंपनी द्वारा जो लाईन एवं कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण/गोपनीय जानकारी/सूचना आदि मिलती है अथवा दी जाती है।त्दाशय की गोपनीयता, अनुबंध अवधि अथवा अनुबंध समाप्ति के बाद भी भंग नही करेगा।

(ब) लाईन परिचारक (संविदा) में अनुबंधित व्यक्ति त्दाशय के संबंध में निम्न कथन पर अपनी सहमति देगा :–

1) गोपनीय सूचना का उपयोग केवल अपने प्राधिकृत अधिकारी एवं अपने सहयोगी के लिये करेगा, अन्य किसी भी कार्य हेतु नही।

2) गोपनीय जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाये रखेगा ।

3) गोपनीय अभिलेख एवं जानकारी संबंधित कार्य पूर्ण करने के पश्चात कंपनी/ संस्थान को लौटाऐगा अथवा प्रकरण में जैसा आवश्यक हो पृथक रखेगा।

4) किसी भी समय यदि सक्षम अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि अनुबंधित लाईन परिचारक (संविदा) का कार्यकलाप कंपनी हित में नही है अथवा उसकी कार्यक्षमता आशा के अनुरूप नही है , तो कंपनी द्वारा बिना कारण बताये 1 माह की सूचना अथवा 1 माह की सूचना के स्थान पर 1 माह का पारिश्रमिक अनुबंधित व्यक्ति को भुगतान कर उसकी संविदा सेवा समाप्त की जा सकती है।

5) अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा बिना कारण बताये 1 माह की पूर्व सूचना अथवा 1 माह का पारिश्रमिक जैसा भी हो दूसरे पक्ष को भुगतान कर सेवा समाप्त कर सकता है। अनुबंधित व्यक्ति द्वारा सेवा समाप्त करने की दशा में लागू अनुबंध राशि भी देय होगी।

23. **पदस्थापना एवं स्थानांतरण:** संविदा कर्मी को किसी भी अन्य कंपनी में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी । संविदा कर्मी को सामान्यत: उसके अनुबंध स्थान से कंपनी अंतर्गत किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। तदापि, अनुबंधकर्ता प्राधिकारी, आवश्यकतानुसार संविदा कार्मिक से, कंपनी क्षेत्रांतर्गत किसी भी स्थान पर कार्य ले सकेगा।

24. अवकाश ,यात्रा भत्ता, सेवा बंधन, अनुषंगी लाभ/सुविधाएं,न्यायिक क्षेत्राधिकार एवं अन्य से संबंधित नियम कंपनी में लागू **"संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) नियम 2016" यथा संशोधित** में उल्लेखित नियमों के अनुसार रहेंगें।

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.)